item i.e. ferrous scrap, in the current year's budget;

(b) whether the Steel Furnace Association of India has protested against this discrimination;

(c) whether a large number of arc and induction furnaces are closing down due to increase cost of inputs; and

(d) what steps Government are taking to provide relief to the secondary steel sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) In the Budget for 1993-94, with effect from 28.2.1993, basic customs duty on steel melting scrap was increased from 10 per cent to 15 per cent ad valorem. The Steel Furnace Association of India has represented against the increase in import duty.

(c) Information about units closing down to increased costs of inputs will be collected and laid on the Table of the House.

(d) To provide some relief to the mini steel plants, customs duty on steel melting scrap has been reduced from 15 per cent to 12.5 per cent with effect from 4th May, 1993.

Permission to Foreign Insurance companies to enter Indian Insurance Sector

1615. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Sun Life Insurance Corporation of U.K. has proposed the setting up of a subsidiary with the Life Insurance Corporation of India;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether U.S. Insurance Companies have also shown interest in the untapped Indian market in the iinsurance business;

(d) if so, what are the implications (involved with the entry of the foreign insurance companies into the domestic insurance sector; and

(e) what is the decision, if any, taken by Government on the question of allowng foreign competition in the insurance business in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No. Sir.

(d) Does not ar!s3.

(e) The Government have appointed a High Powered Committee to recommend reforms in the insurance industry aimed at introducing a more competitive environment subject to suitable regulation and supervision, and submit its report within six months, A view on the question of foreign competition in the insurance business will be taken only after the recommendations of the High Powered Committee become avialable.

नए पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय

1616. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के कोई उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी हां सरकार ने नए पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें पिछड़े इलाकों और विद्युत जैसे आधारभूत क्षेत्रों में पूंजी निवेश करना शामिल हैं । ये उपाय हाल ही में घोषित विभिन्न नीति विषयक दस्तावेजों में और वित्त विधेयक 1993 से भी अन्तर्विष्ट हैं ।

बैंकों के ब्याज की दरों में कमी

1617. **श्रीमती कमला सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों में जमा राशि और बैंकों से लिये गये ऋणों पर ब्याज की दरों को हाल ही में कम किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋणों पर ब्याज दर में कितनी कमी की गई है ;

(ग) क्या दस हजार रुपए से पचास हजार रुपए तक के छोटे ऋण लेने वालों के लिये भी ब्याज की दर में कमी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंक अग्रिमों और जमा-राशियों की ब्याज दरें निर्धारित करता हैं । अनुपूचित वाणिज्यिक बैंकों के उधार दर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से 22-9-90 से सेक्टर विशिष्ट, क्षेत्र विशिष्ट और प्रयोजन विशिष्ट ब्याज दरें वापस ले ली गई हैं और ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए केवल एक मानदण्ड अर्थात् ऋण का आकार निर्धारित किया गया है । लेकिन, लघु उद्योग, कृषि और दो वाहनों वाले परिवहन चालकों को 25,000/- रुपए से अधिक के सावधि ऋणों पर रियायती ब्याज दर का लाभ उपलब्ध है । वर्तमान ब्याज दरें नीचे दी गई हैं :—

सीमा का आकार	ब्याज दर (%) (वार्षिक)
(क) 25,000/- रुपए तक और उसके सहित .	12.0
(ख) 25,000/- रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक .	16.5
(ग) 2 लाख रुपए से अधिक	17.0 (न्यूनतम)

कृषि, लघु उद्योग और दो वाहनों वाले परिवहन चालों को सावधि ऋण 25,000/- रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक . . . 15.0

2 लाख रुपए से अधिक . 15.0 (न्यूनतम)

इसी प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 मार्च, 1993 से 46 दिन से 3 वर्ष और इससे अधिक की परिपक्वता वाली जमा-राशियों की ब्याज दरों (विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते/अनिवासी विदेशी सहित) को एक प्रतिशत बिन्दु से लेकर "11 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक" तक कम करके जमाराशियों की ब्याज दरों में भी परिवर्तन किया है । लेकिन बचत बैंक जमाराशियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो 6.0 प्रतिशत वार्षिक है ।